प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के विभागों जिनमें विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, नगरीय विकास एवं आवास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सम्मिलित हैं, की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2017–18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2017–18 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।